नियम 44 : अपील के किसी पक्षकार की मृत्यु या उसके दिवालिया न्यायनिर्णित होने के पश्चात् कार्यवाही जारी रखना

जहां किसी कार्यवाही में अपीलार्थी या प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या किसी कंपनी की दशा में, उसका परिसमापन किया जा रहा है, वहां अपील या आवेदन का तब तक उपशमन हो जाएगा, जब तक, यथास्थिति, अपीलार्थी या प्रत्यर्थी के हित–उत्तराधिकारी, निष्पादक, रिसीवर, परिसामक या अन्य विधिक प्रतिनिधि द्वारा या उसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है :

परंतु ऐसा प्रत्येक आवेदन, घटना घटित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, तो वह उसे ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा, जिसे वह उचित समझे।